# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 09/2021 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2021/23

***उनवान***

1. श्री सोहनसिंह पिता पिथेसिंह गरासिया, निवासी रोहीमाला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री रूपसिंह पिता पिथेसिंह गरासिया, निवासी रोहीमाला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री माधुसिंह पिता पिथेसिंह गरासिया, निवासी रोहीमाला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

– अपीलान्ट्स

***बनाम***

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

– रेस्पोडेन्ट

***उपस्थित***

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

***अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956***
***अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, प्रकरण संख्या 66/2020***
***दिनांक 20.10.2020 एवं 10.08.2021***

## * निर्णय *

दिनांक– 27-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 66/2020 निर्णय दिनांक 20.10.2020 एवं 10.08.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा राजस्व ग्राम ओड़ा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 481 रकबा 23.02 हेक्टेयर किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि 0.80 हेक्टेयर पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को 3 माह का सिविल कारावास, 125 रूपये की शास्ति सहित मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हैं। वक्त सेटलमेंट राजस्व रेकर्ड में किस्म नदी अंकित हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया हैं। आदेश पारित करने से पूर्व मौके की

Signature Not Verified
Digitally Signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

भोगोलिक जांच भी नहीं की गई हैं। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट्स का नाजायज कब्जा बताया गया है, किन्तु वहां पर किसी प्रकार के नदी के अवशेष/चिन्ह मौजुद नहीं है, बल्कि गैर काबिल काश्त भूमि है तथा इसी कारण उस भूमि पर काश्त की गई हैं। अपीलान्ट्स भूमिहीन काश्तकार है एवं अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं। इस संबंध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय पारित कर न्यायिक दृष्टान्त तय किया हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 66/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 20.10.2020 एवं 10.08.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे विपक्षी तहसीलदार झाड़ोल की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी जाकर जवाब पेश किया कि ग्रामवासी रोहीमाला, तहसील झाड़ोल के प्रार्थना पत्र अनुसार पटवारी हल्का ओड़ा से जांच कराई गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण संख्या 66/2020 दर्ज कर विधिवत सुनवाई उपरान्त बेदखली का आदेश दिंया गया। अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम रोहीमाला की आराजी संख्या 481 रकबा 23.02 हेक्टेयर, किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त पर लगभग 0.80 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से अतिक्रमण कर मक्के की फसल बोई गई। न्यायहित मे अपीलान्ट्स को समुचित अवसर देने के बाद भी किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत उनके द्वारा पेश न करने से विधिवत सुनवाई की गई है। अब्दुल रहमान प्रकरण मे किस्म नदी प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे आती है। उक्त भूमि पर नियमन का आदेश नही दिया सकता है। प्रकरण मे जवाब रेस्पोडेन्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल से मूल पत्रावली संख्या 66/2020 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए कथित भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा होना, नियम विरूद्ध धारा 91 के नोटिस जारी होना, मौके की भौगोलिक जांच न कराया जाना, नदी के कोई अवशेष न होना, अपीलान्ट्स का भूमिहीन होना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने की मांग की। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उसके विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही दो बार हुई है। राजस्व अभिलेख मे भूमि बिलानाम होकर किस्म नदी लिखी हुई है, जो एक साथ नही हो सकती एवं विभागीय त्रुटि है। मौके पर अपीलान्ट्स द्वारा बोई गई फसल मौका मे नही है। अपीलान्ट्स नियमानुसार फसल पकने के उपरान्त पूर्ण रूप से कब्जा हटाने को तैयार है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट्स वर्तमान मे जेल में बन्द है, उन्हे रिहा किया जावें।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये अतिक्रमित भूमि की किस्म बिलानाम नदी होना, नियमन योग्य न होना, पर्याप्त सुनवाई का अवसर देना, अपीलान्ट्स अतिक्रमण के आदी होना अवगत कराया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिनुकूल बताते हुये यथावत रखे जाने की मांग की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब रेस्पोडेन्ट, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम रोहीमाला, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 481 रकबा 23.02 हेक्टेयर किस्म नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि मे रकबा 0.80 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा फसल बो कर अतिक्रमण करने से संबधित है। अतिक्रमण की शिकायत ग्रामवासीयान रोहीमाला द्वारा तहसीलदार को की जाने पर पटवारी हल्का ओड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की जाकर धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण संख्या 66/2020 दिनांक 08.10.2020 को दर्ज कर विधिवत सुनवाई की गई है। पत्रावली पर उपस्थिति स्वरूप अपीलान्ट्स के अतिक्रमण स्वीकार कर हस्ताक्षर किया जाना स्पष्ट है। जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने एवं 125 रूपये की शास्ति के दण्ड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त निर्णय पारित होने के उपरान्त अपीलान्ट्स द्वारा पुनः अतिक्रमण करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाकर नियमानुसार सुनवाई उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने, 125 रूपये की शास्ति एवं तीन माह के सिविल कारावास के दंड से दंडित किया है। राजस्व अभिलेख मे भूमि की किस्म नदी दर्ज हैं। ग्रामवासी रोहीमाला, तहसील झाड़ोल द्वारा प्रेषित शिकायत के आधार पर तहसीलदार झाड़ोल द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मे स्वयं कथित भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया हैं। अपीलान्ट्स को बिलानाम नदी भूमि पर कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दि[illegible].2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल [illegible] न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं [illegible] राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को बिलानाम नदी भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रथम दृष्टया परिलक्षित न होने से कथित आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाडोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि ऐसी भूमियों पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(ओ.पी. बुनकर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested